



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



1 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 89 राँची, मंगलवार,

20 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

14 दिसम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-63/2022-25353 (HRMS)—मो० जफर हसनात, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चान्हों, राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 4494(9)/रा०, दिनांक 19.12.2022 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक-1797/स्था०, दिनांक 16.12.2022 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध चान्हों अंचल अन्तर्गत मौजा-रानीचाचो, थाना नं०-86, खाता नं०-143, प्लॉट सं०-1159 कुल रकबा- 35 एकड़ कपटपूर्ण तरीके से क्रय की गई भूमि के बिक्रय दस्तावेजों को रद्द करने संबंधी आवेदन पत्र पर प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराये जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-18774(HRMS), दिनांक 29.12.2022 द्वारा मो० हसनात को निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया। संबंधित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-22478(HRMS), दिनांक 19.07.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है, जिसका जाँच प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है।

3. निलंबन से मुक्त करने हेतु मो० हसनात द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में वाद सं०-W.P.(S) No. 4535/2023 दायर किया गया तथा उनके पत्र, दिनांक 19.10.2023 द्वारा निलंबन से

मुक्त करने का अनुरोध करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि उनके बच्चे के विद्यालय शुल्क देने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही उनके द्वारा बैंक से लोन लिया गया है, जिसका Installment प्रति माह 43139/- देने में कठिनाई हो रही है। उनकी माँ पार्किंसन से ग्रसित हैं, जिसका देखभाल एवं दवाई खर्च वहन करना पड़ता है। पत्नी अक्सर बीमार रहती है, चिकित्सीय खर्च भी वहन करना पड़ता है। ये स्वयं हृदय रोग से ग्रस्त ग्रसित है, जिस कारण उन्हें नियमित रूप से बी०एम० बिरला हॉस्पिटल, कोलकाता में चिकित्सा जांच का खर्च वहन करना पड़ता है। इस कारण घोर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

4. मो० हसनात से प्राप्त आवेदन एवं मामले की समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(i) मो० जफर हसनात, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चान्हों, राँची, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ii) मो० हसनात के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MD. JAFAR HASNAT (JHK/JAS/312)	DIV COMMISSIONER OFFICE SOUTH CHHOTANAGPUR	DIVISIONAL COMMISSIONER SOUTH CHOTANAGPUR RANCHI (RANCHI)	Under Suspension	मो० जफर हसनात, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चान्हों, राँची, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	14/12/2023	It will NOT be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
